(5)

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 122/बी–121/2015–16

: आदेश :

(आज दिनांक /09/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से तहसीलदार सोण्डवा का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 27.08.2016 को घटना स्थल (ग्राम कुण्डवाट में सडक दुर्घटना) तहसील सोण्डवा मे सड़क दुर्घटना(मोटर साईकिल आपस मे टकराने से) जबरिया पिता चिमलिया जाति भिलाला उम्र लगभग–26 वर्ष निवासी ग्राम रातड की मृत्यु हो गया है। आर्थिक सहायता 15000/–रू0 स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार सोण्डवा के अभिमत से सहमत होकर मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ.आई.आर.पी.एम. के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल,दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि श्रीमति सविता पति स्व. जबरिया भिलाला निवासी ग्राम रातड तहसील सोण्डवा को आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रुपये 15000/–(पन्द्रह हजार रुपये मात्र)स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या –01–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावें।

S/d
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 677/रीडर/2016 अलीराजपुर दिनांक 21/09/2016

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर। (बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न)
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर सोण्डवा ।
5 तहसीलदार तहसील सोण्डवा।
6. सहायक जन संपर्क अधिकारी जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
7. जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र (एनआईसी) जिला अलीराजपुर की ओर अपलोड करने हेतु।
6 संबंधित श्रीमति सविता पति स्व. जबरिया भिलाला निवासी ग्राम रातड तहसील सोण्डवा की ओर सूचनार्थ। द्वाराः– तहसीलदार ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर